प्रैस नोट

आज दिनांक 21.12.2022 को ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने एवं पलायन को कम करने हेतु तैयार सिफारिशों सम्बन्धी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गयीं। रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं–

1. जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 2360 वर्गकिमी0 है जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.4% है। जनपद की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 18.70% है। वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के मध्यम ग्रामीण जनसंख्या का बदलाव प्रतिशत 9.22% था जो कि रूड़की विकास खण्ड में सबसे कम 4.03% रहा। इस अवधि में जनपद के नगरीय क्षेत्रों की आबादी 55.31% की दर से बढ़ी। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं का अस्थाीय रूप से पलायन फैक्टरियों एवं आस–पास के शहरों में आजीविका के संसाधनों के लिए हो रहा है। अस्थायी पलायन उचित शिक्षा, एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में भी हो रहा है। वर्ष 2008 से वर्ष 2018 के मध्य जनपद हरिद्वार के कुल 153 ग्राम पंचायतों में 8168 व्यक्तियों द्वारा अस्थायी पलायन किया गया है, जिसमें सबसे अधिक विकासखण्ड बहादराबाद के 46 ग्राम पंचायतों में 3091 व्यक्तियों द्वारा तथा सबसे कम नारसन विकासखण्ड के 08 ग्राम पंचायतों में 111 व्यक्तियों द्वारा अस्थायी पलायन किया गया, जबकि विकासखण्ड लक्सर में विकासखण्ड लक्सर एवं खानपुर के सापेक्ष 10 ग्राम पंचायतों में 574 व्यक्तियों द्वारा किया गया।
2. जनपद के ग्राम पंचायतों से सबसे अधिक पलायन लगभग 44.27 प्रतिशत नजदीकी कस्बों एवं 20.85 प्रतिशत पलायन राज्य के बाहर हुआ है।
3. जनपद की प्रमुख फसल गन्ना है जिसकी खेती कुल सिंचित क्षेत्र के 52.06% भाग पर की जाती है। गन्ने के बाद कुल सिंचित भूमि क्षेत्र के 31.26% भाग पर गेहूँ, 9.38% भाग पर धान, 1.01% भाग पर दलहन और 6.29% भाग पर अन्य फसलों की खेती की जाती है। जिले की कुछ महत्त्वपूर्ण फसलें गेहूँ, धान, मक्का और दालें हैं। 63% जोत 01 हेक्टेयर से कम है।
4. विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।
5. स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की अधिक भागीदारी बढ़ाने में उनकी साक्षरता दर कम होने के कारण कठिनाईयाँ होती है। अतः NRLM के कार्यक्रमों में महिलाओं की वित्तीय साक्षरता (Financial literacy) पर विषेश ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है ताकि कार्य का लाभ उन्हें अधिक मिल सके।
6. Agro forestry के अन्तर्गत पेड़ लगाये जाते हैं उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय Carbon Market का लाभ प्राप्त करने में कृषि एवं वन विभाग को सहायता करनी चाहिए।
7. गन्ने की खेती में भारी मात्रा में कीटनाशक एवं उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं आर्गेनिक Jaggery के उत्पादन से अधिक मूल्य मिल सकता है। विकास खण्ड नारसन में इसकी एक इकाई भी स्थापित हो चुकी है इसको अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा सकता है।
8. छोटे किसानों की संख्या अधिक है जिनके पास भूमिजोत कम होने के कारण आजीविका के अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं।
9. कई विकास खण्ड़ों में जंगली जानवरों से भी कृषि को नुकसान हो रहा है। नील गाय के प्रकोप से फसल नष्ट हो रही है तथा वन विभाग के साथ मिलकर इसका उपाय ढूंढने की आवश्यकता है।
10. सभी विकास खण्ड़ स्तर पर पशुपालन एवं डेयरी विकास की उपयोजना बनाकर जनपदस्तर पर एक एकीकृत योजना बनाई जाए ताकि इस क्षेत्र का और तीव्र गति से विकास हो सके। पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की अत्यधिक सम्भावनाऐं हैं जिनका लाभ ऐसी एकीकृत योजना बनाकर तथा उसके समयबद्ध क्रियान्वयन से प्राप्त होगा।
11. विभागों को गांव–गांव जाकर योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी देना आवश्यक है।
12. विकास खण्ड भगवानपुर में ग्रामीणों द्वारा व्यापक स्तर पर मशरूम उत्पादन का कार्य किया जा रहा है तथा स्थानीय बाजार हेतु ग्राम बुग्गावाला में स्थित फैक्टरी में इसका रख–रखाव होता है। इस कार्य के विस्तार किए जाने के

साथ–साथ स्थानीय स्तर पर सब्जी का उत्पादन किया जा सकता है तथा गांव में ही स्थित Food Processing & Packaging Unit में इसकी खपत हो सकती है।

13. जनपद के औद्योगिक विकास के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटी इकाईयों का विकास हो सके इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न होगा एवं शहरों की ओर पलायन कम होगा।
14. वर्तमान में जनपद में आ रहे पर्यटकों में 90% से अधिक तीर्थयात्री है। यह आवश्यक है कि तीर्थाटन के अतिरिक्त अन्य प्रकार के पर्यटन को भी विकसित किया जाए जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इसके लिए एक विस्तृत जनपद स्तरीय पर्यटन विकास योजना तैयार की जाए जो कि तीर्थाटन के अतिरिक्त पर्यटन के अन्य स्वरूपों पर भी केन्द्रित हो। इस योजना को जिसे हरिद्वारा शहर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी पर्यटन का विकास होगा। इसमें ग्रामीण पर्यटन, विरासत पर्यटन तथा वन्यजीव पर्यटन सम्मिलित किए जा सकते हैं।
15. जलभराव की स्थिति खानपुर विकास खण्ड तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी है अतः जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों को जनपद स्तर पर चिन्हित करके क्षेत्रों का सुधार किया जाना आवश्यक है।
16. बाढ़ नियत्रंण के लिए तुरंत विशेष योजना बनाकर केन्द्र सरकार या अन्य External Agency की सहायता से कार्य शुरू किया जाए ताकि प्रभावित लोगों को प्रतिवर्ष आ रही समस्या से निजात मिल सके।
17. बाढ़ ग्रस्त एवं जल भराव वाले क्षेत्रों में कृषिवानिकी में Poplar एवं यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने से भी किसानों को लाभ होगा।